# राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

## S. B. Civil Second Appeal No. 561/2005

**27.9.2018**

**<u>माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी</u>**

अपीलार्थी पक्ष के अधिवक्ता श्री अंकित जैन

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि इस मामलें में अपीलार्थी की ओर से उन्हें पैरवी का अधिकार दिया गया है। अतः उनका नाम प्रत्यर्थी की ओर से हटाया जाकर अपीलार्थी पक्ष की ओर से अंकित किए जाने का निवेदन किया गया।

निवेदन अनुसार कार्यालय को उक्त प्रकार से कार्यवाही किए जाने व अपीलार्थी के अधिवक्ता के रूप में अर्जुन कारनानी के स्थान पर अधिवक्ता श्री अंकित जैन/ श्री एम सी जैन का नाम अंकित किए जाने का निर्देश दिया जाता है।

कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 3/1 की मृत्यु होना पाया गया है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी उक्त मृतक प्रत्यर्थी के विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु समय चाहते है। निवेदन अनुसार समय प्रदान किया जाता है।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी को निर्देश दिया जाता है कि जिन प्रत्यर्थीगण (प्रत्यर्थी संख्या 3/3 से 3/5 तथा प्रत्यर्थी संख्या 2) की तामील नहीं हुई हैं, उनके कम में **एक सप्ताह** में फ्रेश पी एफ नोटिस (सही, पूर्ण/वर्तमान पते सहित) पेश करें जो पेश किए जाने पर **चार सप्ताह** में वापसी योग्य जारी किए जावें।

**( महेन्द्र माहेश्वरी )**
**न्यायाधिपति**

जे एस पंवार/4